न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 666 / 2024

अनवान : –

1. रमेश कुमार पुत्र भंवरलाल जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी अरड़की तहसील नोहर।
2. नरेन्द्र पुत्र भंवरलाल जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी अरड़की तहसील नोहर।
3. घनश्याम पुत्र मोहनलाल जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी अरड़की तहसील नोहर।
4. उमाशंकर पुत्र मोहनलाल जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी अरड़की तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. भंवरलाल पुत्र रामकिशन जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी अरड़की तहसील नोहर।
2. पूनम पुत्री भंवरलाल जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी अरड़की तहसील नोहर।
3. मोहनलाल पुत्र रामकिशन जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी अरड़की तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व पल्लु तहसील पल्लु।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादीगण**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 21/04/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा अरड़की तहसील नोहर के खाता स0 328 / 309 की कुल 8.8900 हैक्ट व रोही मौजा धान्धुसर तहसील पल्लू के खाता स0 283 / 262 की कुल 15.0740 हैक्ट भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 प्रत्येक के नाम 1 / 2 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 व 3 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उक्त वाद भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 का प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के साथ जन्म जात हक हिस्सा है। प्रतिवादी स0 2 जो की वादीगण संख्या 1 व 2 की बहिन है उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है प्रतिवादी संख्या 2 ने उक्त भूमि में से अपना समस्त हक हिस्सा वादीगण संख्या 1 ता 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी स0 1 व 3 काबिज है। जिसकी वादीगण न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादीगण के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.04.28 16:34:16 IST
Reason: SelfAttested

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता वादीगण के

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादीगण ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी, शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया कि उक्त वाद भूमि वादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 व 3 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उक्त वाद भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 का प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के साथ जन्म जात हक हिस्सा है। प्रतिवादी स0 2 जो की वादीगण संख्या 1 व 2 की बहिन है उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है प्रतिवादी संख्या 2 ने उक्त भूमि में से अपना समस्त हक हिस्सा वादीगण संख्या 1 ता 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी स0 1 व 3 काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादीगण के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा अरड़की तहसील नोहर के खाता स0 328/309 की कुल 8.8900 हैक्ट व रोही मौजा धान्धुसर तहसील पल्लू के खाता स0 283/262 की कुल 15.0740 हैक्ट भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 प्रत्येक के नाम 1/2 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है तथा उभयपक्ष ने भी उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादी द्वारा पत्रावली मे दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। वादीगण का कथन है कि उक्त वाद भूमि वादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 व 3 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उक्त वाद भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 का प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के साथ जन्म जात हक हिस्सा है। प्रतिवादी स0 2 जो की वादीगण संख्या 1 व 2 की बहिन है उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.04.28 16:34:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

संख्या 2 ने उक्त भूमि में से अपना समस्त हक हिस्सा वादीगण संख्या 1 ता 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी स0 1 व 3 काबिज है, वादीगण के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा अरड़की तहसील नोहर के खाता स0 328/309 की कुल 8.8900 हैक्ट में प्रतिवादी संख्या 1 व 3 प्रत्येक के नाम 1/2 हिस्सा भूमि दर्ज है , में वादीगण संख्या 1 ता 2 व प्रतिवादी स0 1 को बहिब 1/21 हिस्सा भूमि के व वादीगण संख्या 3 ता 4 व प्रतिवादी स0 3 को बहिब 1/21 भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व रोही मौजा धान्धुसर तहसील पल्लू के खाता स0 283/262 की कुल 15.0740 हैक्ट भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 प्रत्येक के नाम 1/2 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी संख्या 1 व 3 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 व 2 को बहिब 1/2 हिस्सा भूमि के व वादीगण संख्या 3 ता 4 को बहिब 1/2 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21/04/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.04.28 16:34:16 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 666/2024

अनवान : –

1. रमेश कुमार पुत्र भंवरलाल जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी अरड़की तहसील नोहर।
2. नरेन्द्र पुत्र भंवरलाल जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी अरड़की तहसील नोहर।
3. घनश्याम पुत्र मोहनलाल जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी अरड़की तहसील नोहर।
4. उमाशंकर पुत्र मोहनलाल जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी अरड़की तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. भंवरलाल पुत्र रामकिशन जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी अरड़की तहसील नोहर।
2. पूनम पुत्री भंवरलाल जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी अरड़की तहसील नोहर।
3. मोहनलाल पुत्र रामकिशन जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी अरड़की तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व पल्लु तहसील पल्लु।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 666 सन 2024 निर्णय दिनांक 21/04/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा अरड़की तहसील नोहर के खाता स0 328/309 की कुल 8.8900 हैक्ट में प्रतिवादी संख्या 1 व 3 प्रत्येक के नाम 1/2 हिस्सा भूमि दर्ज है , में वादीगण संख्या 1 ता 2 व प्रतिवादी स0 1 को बहिब 1/21 हिस्सा भूमि के व वादीगण संख्या 3 ता 4 व प्रतिवादी स0 3 को बहिब 1/21 भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व रोही मौजा धान्धुसर तहसील पल्लू के खाता स0 283/262 की कुल 15.0740 हैक्ट भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 प्रत्येक के नाम 1/2 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी संख्या 1 व 3 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 व 2 को बहिब 1/2 हिस्सा भूमि के व वादीगण संख्या 3 ता 4 को बहिब 1/2 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/04/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.04.28 16:34:16 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर